दूरभाष:– 07582–221900
फैक्स :– 07582–222070, 224543
Email- dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर (म0प्र0)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

//सत्कार व्यवस्था हेतु आमंत्रित निविदा का कार्यक्षेत्र एवं सामान्य शर्तें//

// निविदा विज्ञप्ति//

सागर जिले में व्ही0व्ही0आई0पी0 एवं अन्य अतिथिगणों के भ्रमण व सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्य हेतु समय–समय पर हल्के अशासकीय वाहनों (टैक्सी) की आवश्यकता रहती है। अतः इस कार्यालय हेतु आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 05.03.2021 को दोपहर 03.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकार द्वारा मुख्य शीर्ष–0070 भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाईन सागर में प्रपत्र राशि रूपये 1000.00 एक हजार रूपये जमा कर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सागर के कार्यालय से निविदा प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवस एवं समय पर प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाए प्राप्ति तिथि के अगले कार्य दिवस में 03.00 बजे जिला स्तर पर गठित समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की विस्तृत जानकारी **sagar.nic.in** में देखी जा सकती है।

//निविदा की शर्तें//

1. निविदाकार तीन पृथक–पृथक लिफाफों में (1) अमानत राशि हेतु 20,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट रखेगा।(2) वांछित जानकारी तकनीकी शर्तों के अनुसार जानकारी अभिलेख की सत्यापित प्रति सहित एवं (3) वित्तीय (दर) निविदा सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत करेगें।
2. निविदाकार/फर्म के नाम पर कम से कम 03 वाहन मध्यप्रदेश के किसी भी परिवहन कार्यालय में पंजीकृत हो ।
3. ट्रेवल एजेंसी का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से होना अनिवार्य है, वैध पंजीयन की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जावें।
4. ट्रेवल एजेंसी का केन्द्रीय आबकारी विभाग से पजीयन होने का प्रमाण पत्र एवं 15 डिजिट वाले कोड के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवश्यक रूपसे संलग्न की जावें।
5. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का जीवनकाल का मोटरयान कर, जमा होना आवश्यक है। जमा रशीद की छायाप्रतियां संलग्न की जावें।
6. वाहनों की स्थिति व रख–रखाव उत्तम श्रेणी का हों। आवययकता के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज (मय रॉड) एवं व्हाईट सीट कवर सहित व्ही0आई0पी0 अतिथि की गरिमा अनुरूप आवश्यक साज–सज्जा आदि प्रदाय करने होंगें।
7. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में रहेगा। वाहन चालक आपराधिक चरित्र का न हों। उसके पास वैध कमर्शियल वाहन संचालन का लायसेंस हो।चालक के वेतन एवं अन्य दैनिक भत्ते के भुगतान का उत्तदायित्व ट्रेवल्स एजेंसी/वाहन मालिक का ही रहेगा।
8. संपूर्ण रखरखाव जैसे वाहन टायर, ट्यूब, स्टेपनी, बैटरी, सेल्फ स्टार्ट, माईलोमीटर दुरस्त रखने का उत्तरदायित्व फर्म का ही रहेगा।
9. विभिन्न दरें निर्धारित प्रपत्र में दी जावें ये दरे 31 मार्च 2022, तक रहेगी। आवश्यकता होने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
10. अल्पावधि सूचना पर भी वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। मांग किये जाने के एक घण्टे (साठ मिनिट) के भीतर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होगा।
11. किराये की अवधि में वाहन के संपूर्ण संधारण के व्यय का वहन प्रदाता को करना होगा एवं सुदूर यात्राओं पर टोल टैक्स जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व रहेगा।
12. वाहन के वैध दस्तावेज पंजीयन प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण–पत्र, परमिट एवं कॉम्प्रीएनसिव बीमा होना अनिवार्य है। सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न की जावें।
13. वाहन में तकनीकी खराबी होने के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन के उपयोग में बाधा आती है तो निविदाकार को अन्य वाहन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
14. शासन द्वारा लगाये सभी प्रकार के करों को नियमानुसार जमा करनें का दायित्व निविदाकार का होगा। यदि, निविदाकार द्वारा समय पर कर जमा नहीं किया जाता है तो देय राशि से समायोजन किया जावेगा।

दूरभाषः– 07582–221900
फैक्स :– 07582–222070, 224543
Email- dmsagar@nic.in

15. प्रोटोकॉल व्यवस्था हेतु पी0ओ0एल0 सहित वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं वाहन किराया देयक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संधारित लॉगबुक की प्रमाणित प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जावें।
16. यदि प्रोटोकॉल वाहन व्यवस्था हेतु एजेंसी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् धरोहर राशि रूपये 1,00,000/– की एफ0डी0 कलेक्टर सागर के नाम एफडी जमा कराना आवश्यक है। जो कि अनुबंध समाप्ति पर फर्म को वापिसी योग्य होगी।
17. अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार से वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने एवं न्यायालीन प्रकरण आदि समस्त व्यय का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी संपूर्ण जबावदारी वाहन प्रदाता की होगी।
18. अलग–अलग माडल के वाहन हेतु पृथक--पृथक दर निविदा में अंकित की जावे। (संलग्न प्रपत्र) में प्रस्तुत की जाने वाली दर भारत सरकार एवं म0प्र0 शासन के समस्त टैक्स को समाविश्ट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी इत्यादि का कोई बंधन नहीं रहेगा।
20. आकस्मिक रूप से वाहन रास्ते में खराब होने पर गैरिज पहुँचाने एवं 01 घण्टे में दुरूस्त कराकर पुनः उपलब्ध कराना होगा। वाहन मरम्मत हेतु गैरिज में रहने पर अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।अन्यथा एक हजार रूपये प्रतिदिन की दर से किराये में अर्थदण्ड कटौती की जावेगी।
21. व्ही0आई0पी0 वाहन सफेद कलर एवं वर्ष 2017 के पूर्व का मॉडल नहीं होगा एवं वाहन दुरूस्त हालत में होना चाहिए।
22. वाहन प्रदाता निविदा प्रस्तुत करते समय सुरक्षा निधि के रूप में राशि रू 20,000 (शब्दों में बीस हजार रूपये मात्र) अमानत राशि बैक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जानी होगी जो कि अनुबंध समाप्ति पर वाहना प्रदाता को वापिसी योग्य होगी।
23. वाहन को किराए पर प्रदाय करने के आदेश इस कार्यालय से जारी होने के बाद आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर निविदाकर्ता/फर्म संचालक को रू 1,000 (एक हजार रूपये केवल) के स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना आवश्यक होगा।
24. निविदा आमंत्रण सूचना निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे।
25. निविदाकार को पूर्व में केन्द्र सरकार एवं किसी राज्य शासन के कार्यालयों में वाहन प्रदाता संबंधी किये किये गये कार्यों के अनुभव की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगी।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद कलेक्टर जिला सागर को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
27. वाहन की किराया राशि के भुगतान में यदि कोई विशेष कारण (तकनीकी खराबी या आबंटन आभाव) से विलम्ब होता है तो इसके लिये कोई ब्याज अथवा शुल्क देय नहीं होगा। और न ही इस संबंध में कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
28. निविदाकार के द्वारा समयावधि में वाहनो की व्यवस्था नहीं की जाती है तो अन्य किसी निजी ट्रेवल एजेंसी आदि के माध्यम से अनुमोदित निर्धारित दरों पर वाहन किराये से लेने हेतु कार्यालय स्वतंत्र रहेगा।
29. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर, जिला सागर को होगा।
30. वित्तीय वर्ष 2022–2023 की नवीन दरें जब तक अनुमोदित नहीं की जाती है तब तक वर्ष 2021–2022 की स्वीकृत दरों पर ही वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आपसी सहमति से इसे एक वर्ष आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
31. लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निर्वाचन में उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया स्वीकृत निविदा अनुसार ही किराया देय होगा। निर्वाचन कार्य हेतु यदि अधिकृत एजेंसी के द्वारा ही वाहन किराये पर लिये जाते है तो ऐसी स्थिति में भी स्वीकृत निविदा अनुबंध अनुसार ही भुगतान देय होगा।

क्रमांक 1 से 31 तक उपरोक्त शर्तें मान्य है। निविदाकार **(प्रोटोकॉल/सत्कार एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु दैनिक दरें)** वाहन स्वीकृत किराया दर के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु बाध्य रहूंगा।

कलेक्टर
सागर म0प्र0

दूरभाषः— 07582—221900
फैक्स :— 07582—222070, 224543
Email- dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर (म0प्र0)

वातानुकूलित/सामान्य दरें देवे (डीजल सहित)

क्र0	विवरण	सियाज एवं समकक्ष वाहन	इनोवा किस्टा	इनोवा/सफारी एवं समकक्ष वाहन	स्कार्पियो	बोलेरो/टवेरा/अर्टिका एवं समकक्ष वाहन	स्विफ्ट/इंडिगो एवं समकक्ष वाहन
1	विमानतल/सर्किट हाउस/रेल्वे स्टेशन से पिकअप						
2	विमानतल/सर्किट हाउस/रेल्वे स्टेशन पर छोडना						
3	4 घण्टे 40 कि.मी.						
4	8 घण्टे 80 कि.मी.						
5	12 घण्टे 120 कि. मी.						
6	प्रति कि.मी. अतिरिक्त						
7	प्रति घण्टा अतिरिक्त						
8	प्रतिदिन (24 घण्टे 250 कि0मी0)						

15/2/021

जिला सत्कार अधिकारी
सागर (म0प्र0)